स्पीड पोस्ट/रजिर्स्टड

संख्या-15/2016/317/चालीस-2016-बजट(7)/16

प्रेषक,

अभय कुमार बाजपेई,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2016

विषय:- लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर, को "राष्ट्रीय अखण्डता दिवस" के रूप में मनाया जाना।

महोदय,

लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस दिनांक 31 अक्टूबर, को शासन द्वारा राष्ट्रीय अखण्डता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उक्त दिवस के अवसर पर समस्त जनपदों में निम्नवत् प्रकार के कार्यक्रम आहूत किये जायें :-

प्रात: 8.00 बजे	प्राइमरी विद्यालयों के छात्रों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में प्रभात फेरी का आयोजन तथा माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की रैली	आयोजन :- जिला विद्यालय निरीक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला क्रीडा अधिकारी
प्रात: 9.00 बजे	लौह पुरूष सरदार पटेल के जीवन राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता दिवस पर समस्त विद्यालयों के छात्रों के "स्लोगन" का संकलन	स्टेडियम में
प्रात: 10.00 बजे	सूचना विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता विषयक प्रदर्शिनी	संयोजक:- सूचना विभाग
दोपहर:12.00 बजे	जिला संयुक्त चिकित्सालय में जिलाधिकारी द्वारा मरीजों को फल वितरण	स्वयंसेवी संस्था
अप0 :01.00 बजे	वृद्ध एवं कुष्ठ आश्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भोजन वितरण	स्वयंसेवी संस्था
अप0 :02.00 बजे	भाषण प्रतियोगिता:- विषय:- सरदार बल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व	आयोजक:- प्रधानाचार्य,राजकीय इण्टर कालेज
अप0 :04.00 बजे	सरदार बल्लभ भाई पटेल के जीवन पर विचार गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन	श्रम कल्याण अधिकारी
सायं: 06.00 बजे	लौहपुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र पर फिल्म शो-स्टेडियम परिसर	संयोजक:- सूचना विभाग

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 31-10-2016 को प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता के सद्भावों को बढाने हेतु उपरोक्तानुसार यथोचित कार्यक्रम आहूत करने का कष्ट करें तथा इस हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला युवक समन्वयक (नेहरू युवा केन्द्र), सूचना विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार किया जाय कि जनपद के मुख्यालय के साथ-साथ जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी कार्यक्रम आहूत हो सकें। कार्यक्रमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्येक्रमों पर व्यय हेतु धनराशि दी जा रही है:-

अ- जनपद में रैलियों का आयोजन करे तथ उसमें राष्ट्रीय एवं देशभक्ति के गीतों का गायन हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ब- लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जीवन से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत परिचर्चा की जाये।

स- राष्ट्रीय अखण्डता पर बल देने से संबंधित बैठकें, विचार गोष्ठी और सेमिनार आयोजित किये जायें।

3- उपरोक्त कार्यक्रम हेतु श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के कुल 75 जनपदों के लिये कुल रू0 3,75,000/- (रू0 तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि प्रत्येक जनपद को रू0 5000/- (रू0 पॉच हजार मात्र) प्रति जनपद की दर से प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने/व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये तथा प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। इसके साथ ही, व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 31-12-2016 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकडों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को दिनांक 31-01-2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-10- लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर "राष्ट्रीय अखण्डता दिवस" मनाये जाने वाले कार्यक्रम-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभय कुमार बाजपेई
विशेष सचिव।

संख्या-15/2016/317/(1)चालीस-2016-बजट(7)/16, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन- 15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in